पीठासीन अधिकारी :– विष्णु चरण मल्लिक, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13/2016

प्रार्थीपक्ष	बनाम	अप्रार्थीपक्ष
1– अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अजीज जाति तेली निवासी नागोरी के अन्दर, नया तालाब मालियों की, की बगेची के पास, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।		1– जमालुदीन पुत्र इब्राहिम के कायम मुकाम 1/1–सलाऊदीन पुत्र जमालुदीन 1/2–ईसलामुदीन पुत्र जमालुदीन 1/3–जाकीर हुसैन पुत्र जमालुदीन 1/4–सराजुदीन पुत्र जमालुदीन 1/5–अखलिद उर्फ पिन्टु पुत्र जमालुदीन सभी जातियान तेली मुसलमान निवासीगण रूण बर्तन भण्डार के पास, नागौरीगेट रोड़, जोधपुर। 2– सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भूमि) आवंटन नियम, 1970

आदेश दिनांक 13.02.2017

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थी स्वयं उपस्थित
2– श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता (अप्रार्थीगण)
2– सरकारी पेरोकार अनुपस्थित।

आदेश

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि ग्राम बनाड़ तहसील जोधपुर के खसरा सं0 383/8 में 0.10 बीघा गैर मुमकीन आगोर भूमि आवंटन जमालुदीन पुत्र इब्राहिम के नाम की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी(सी) नम्बर 3109/2011 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2011 में चारागाह भूमियों/जोहड़/पायतन और तालाब भूमियों में निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों के किये गये आवंटन को अवैध माना है, के आधार पर ख.नं. 383/3 रकबा 0.10 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराने का यह प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थीपक्ष 1/1 ता 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ कार्यालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त हुआ, अन्य कोई मूल अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। उभय पक्षकारान की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई तथा दिनांक 01.02.2017 को बहस भी सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि वाके ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 383 की किस्म मिसल बन्दोबस्त अनुसार केचमेंट/आगोर है, परन्तु आवंटी ने तत्कालीन हलका पटवारी से मिली भगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कपट पूर्वक आवंटन करवा लिया है। उपरोक्त वर्णित भूमि धारा 16 में वर्जन माना " जहां

लगातार...

स्वामित्वाधीन और धारित तालाब की तल भूमि, पाल और आगोर तथा पानी के प्रवाह के लिए सुरक्षित भूमि में खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हो सकते, चाहे कब्जा कितना ही लम्बा हो।

(2) धारा 16(ii) के अधीन " जोहड/जोड़बद्ध अभिलिखित की गई भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते " इस पर तहसीलदार ने ध्यान नहीं दिया ऐसी स्थिति में तहसीलदार नामान्तरकरण करने के लिए सक्षम नहीं था। बहस में यह भी बतलाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार सभी ने संदर्भित निर्णयों मे चारागाह भूमियों/जोहड़ पायतन और तालाबों की तल भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयाग के लिए दी गई भूमियों अर्थात् किये गये आवंटनों को अवैध माना है और ऐसे आवंटियों को अतिक्रमी मानते हुए उन्हें बेदखल करने के निर्देश दिये है। अप्रार्थी जमालुदीन द्वारा विधि विरूद्ध भूमि की किस्म परिवर्तन करवा कर कपट के द्वारा आवंटन/नियमन करवा लिया गया है, को खारिज कर उक्त रकबे को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का आदेश दिया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि ग्राम बनाड़ की पैमाईश भू–प्रबंध विभाग द्वारा नहीं की गई, पैमाईश राज मारवाड़ द्वारा संवत् 1982 यानि सन् 1925 में करके खतौनी तैयार की हुई थी। राज्य सरकार द्वारा पैमाईश नहीं होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रिकॉर्ड तैयार नहीं हुआ था, पहली बार जमाबंदी विक्रम संवत् 2031 में तैयार हुई। सन् 1974 में बिना किसी आदेश से बनाई गई थी, इस कारण भूमि की किस्म मौके पर स्थिति पर ही निर्भर रहता है। बहस में आगे बतलाया कि सन् 1925 में तैयार खतौनी मे खसरा सं. 383 रकबा 435.01 बीघा दर्ज है इस खसरा की भूमि आगौर का हिस्सा नहीं थी उस रकबों को अन्य प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने करीब 100 बीघा भूमि अलग अलग रक्षा प्रयोजनार्थ एवं सरकारी व निजी को आवंटन व नियमन किया जा चुका है। अप्रार्थीगण का रहवासीय मकान बना हुआ है, सनद जारी होने के 35 वर्ष बाद प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो काबिज खारिज है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के परिवार से द्वेष भावना रखता है इसी के चलते केवल अप्रार्थी के मालिकाना कब्जा का रकबा 10 बिस्वा को ही चुनौति दी गई है, अप्रार्थीपक्ष को तग व परेशान करने की मंशा से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, अप्रार्थीपक्ष के मकान के चारों ओर आबादी बसी हुई है।

बहस में आगे यह भी बतलाया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत पेश किया गया। अप्रार्थी को यह भूमि राजर ान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन नहीं की गई है इस कारण नियम 14(4) का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज है। अप्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय एवं व्यवसायिक रूपान्तरण) नियम, 1971 के तहत जारी परिपत्र दिनांक 03.07.1971 तहत मकान बाड़े की सनद जारी की गई, इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है। बहस के अन्त में कहा कि सनद जारी के बाद अप्रार्थी के मकान बाड़ा का नामान्तरकरण दिनांक 18.01.1979 को स्वीकृत हुआ है, 36 वर्ष बाद किसी अजनबी द्वारा चुनौति दी गई है। प्रार्थी का इस भूमि में हित निहित नहीं है तथा प्रार्थी पीड़ित पक्षकार भी नहीं है इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन) नियम, 1970 के तहत पेश करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम बनाड़ के ख.नं. 383 किस्म गैर मुमकीन आगौर में 0.10 बीघा भूमि बाड़ा व मकान के लिये अप्रार्थीगण 1/1 ता 1/5 के पिता जमालुदीन पुत्र इब्राहिम को किये गये आवंटन को निरस्त कराने के लिए पेश किया, परन्तु बाड़ा/मकान भूमि के आंवटन ग्रामीण क्षेत्रों में

लगातार..

सिवाय चक, चारागाह, वनभूमि, गैर मुमकीन तथा आबादी भूमि पर राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(17)राज/3/71, दिनांक 03.07.1971 (18.2.1955 से 31.12. 1970 तक के अतिक्रमण) एवं परिपत्र कमांक एफ. 6(10)राज/ग्रुप–4/77 दिनांक 23.0.1977 (01.07.1975 तक किये हुए अतिक्रमण) के अनुसार 500 वर्गगज भूमि निशुल्क या उससे अधिक 1000 वर्गगज तक होने पर कुछ प्रीमियम राशि लेकर सभी अतिक्रमणों का नियमन करने के तहसीलदारों को अधिकृत किया गया तथा संभवत् मूल नामान्तरकरण सं. 667 दिनांक 18.01.1979 के कॉलम सं. 14 में उल्लेखित आदेश नं. राजस्व/अभि/78/806 दिनांक 12.01.79 तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी किया जाकर अप्रार्थीगण 1/1 से 1/5 तक के पिता जमालुदीन के नाम से ख.नं. 383 गैर मुमकीन आगौर की भूमि में 0.10 बीघा भूमि बाड़ा के रूप में आवंटन/सनद जारी की गई, न कि राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन किया गया। अप्रार्थीपक्ष के कथनानुसार इसी खसरें में सरकारी/सेना के प्रयोजनार्थ भी आवंटन किया गया तथा अन्य नीजि व्यक्तियों को भी ऐसे आवंटन की कार्यवाही हुई परन्तु उस बाबत् प्रार्थी को कोई एतराज नहीं रहा अतः प्रार्थी का इस भूमि में हित निहित या पीड़ित पक्षकार किस प्रकार है, प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। हम अप्रार्थीपक्ष के इस कथन से भी सहमत है कि अप्रार्थीगण के पिता जमालुदीन को **राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन) नियम, 1970** के तहत बाड़ा का आंवटन नहीं होने से बाड़ा सनद को नियम 14(4) के तहत निरस्त करने का प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति मय मूल नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः प्रेषित हो।